(208)

(332) निग0 5982/2018/सीधी/भू-रा0

<u>न्यायालय **श्रीमान्** राजस्व मण्डल ग्वालियर</u>

<u>जिला–ग्वालियर (म0प्र0)</u>

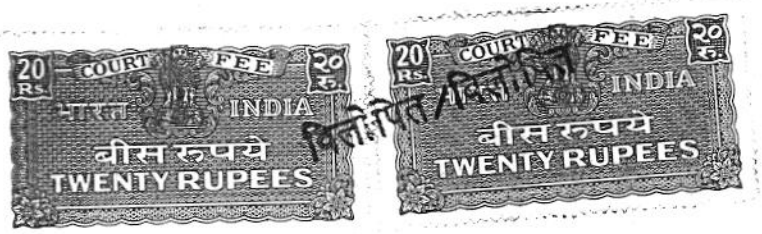

आवेदक की ओर से श्री एस.के. त्रिपाठी एड. द्वारा पेश / 26.9.18

26.9.18

कलर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

सुनैना देवी पत्नी बाबूलाल ब्राम्हण उम्र–40 वर्ष, पेशा खेती एवं गृहकार्य, निवासी ग्राम कुर्वाह, तहसील गोपदबनास, जिला–सीधी (म0प्र0)

––––––निगरानीकर्ता / अपीलार्थी

<u>बनाम</u>

म0प्र0 शासन

––––––––उत्तरवादी / गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्व आदेश अपर कमिश्नर सीधी संभाग रीवा जिला–सीधी म0प्र0 के राजस्व प्रकरण क्रमांक 0978 / अपील / 2017–18 में पारित आदेश दिनांक 31.07.2018 जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने बिना समझे चुने प्राथमिक स्तर पर खारिज कर दिया गया है।

निगरानी अन्तर्गत धारा–50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

निम्न निगरानी आवेदन पेश है :–

क– यह कि आवेदिका द्वारा त्रुटिपूर्ण नक्शा निर्माण से क्षुब्ध होकर उक्त त्रुटि सुधार बाबत् आवेदन दिया, जिसमें मौके की स्थल एवं अभिलेखीय व स्थलीय जॉच उपरान्त व प्रतिवेदन मौके की स्थिति अनुसार बनाया व प्रस्तुत किया जो सही था, उक्त कार्यवाही पश्चात् नायब तहसीलदार ने उक्त प्रकरण

सुनैना देवी

(208)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 5982/2018/सीधी जिला– सीधी

सुनैना देवी विरूद्ध म0प्र0 शासन

(1)	(2)	(3)
16-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री एस0 के0 त्रिपाठी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ~~कमिश्नर~~/अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 978/अपील/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 31.07.18 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 26.09.18 प्रस्तुत की गयी है। 2. म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवदेन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये। 3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो। सदस्य	